(18) (125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4161/2018/सिंगरौली/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 27–06–2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त कोर्ट संभाग रीवा जिल सीधी/सिंगरौली का राजस्व प्रकरण 1605/अपील/2017–2018

जगधारी कुम्हार पुत्र श्री रामगोपाल कुम्हार
निवासी ग्राम दुधमनिया तहसील सरई
जिला सिंगरौली म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिंगरौली

.....अनावेदक

श्री व्ही.0 के0 शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री विवेक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक २८/०१/१९ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्ग अपर आयुक्त कोर्ट संभाग रीवा जिल सीधी/सिंगरौली द्वारा पारित दिनांक 27–06–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के पिता रामगोपाल के नाम से ग्राम चमारीडोल का पुरानी आरजी कमांक 141/1 रकबवा 15.45 एकड़ रीवा राज्य विन्ध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटटा प्रदान किया गया जो खसरा वर्ष 1956–57 से 1960–61 के खसरे में भूमिस्वामी के रूप में अंकित अभिलेख

रहा। उक्त आराजी में आवेदक का नाम वर्ष 982–83 से 1986–87 तक भूमिस्वामी दर्ज चला आया। बन्दोबस्त सर्वेक्षण के दौरान उक्त आराजी से नवीन आराजी न. 594, 596, 597 निर्मित किया गया, नये नम्बरों में आवेदक के नाम के स्थान पर म0प्र0 शासन अंकित हो गया। जिसके सुधार हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने 08–2–2018 को अंतिम आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश दिनांक 13–6–2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त कोर्ट संभाग रीवा जिल सीधी/सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 26–6–18 के द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1958–59 में शासकीय दर्ज थी। वर्ष 1982–83 से 1986–87 में भूमि किस प्रकार आवेदक के पिता के नाम दर्ज हुई इसका कोई दस्तावेज आवेदक प्रस्तुत नहीं कर सका। बंदोबस्त के समय परिवर्तन का कोई रिकार्ड भी आवेदक पेश नहीं कर सका। बंदोबस्त की अवधि के 28 वर्ष पश्चात अभिलेख में संशोधन करने हेतु आवेदन पेश किया गया है, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर कलेक्टर सिंगरौली एवं अपर आयुक्त कोर्ट संभाग रीवा जिला सीधी/सिंगरौली द्वारा भी स्थिर रखा

है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त कोर्ट संभाग रीवा जिला सीधी/सिंगरौली का आदेश दिनांक 27–6–2018 स्थिर रखा जाता है।

28/01/2019

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर